भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

नवम्बर 2022

प्रतिरोध का स्वर

वर्ष 36
संख्या 11

मूल्य 5 रुपये

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर

यूएपीए के तहत गिरफ्तार सभी को अविलंब रिहा करो!

आर एस एस– भाजपा के फासीवादी शासन में जनवादी अधिकारों पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। देश के शोषित उत्पीड़ित तकके इन हमलों का मुख्य निशाना हैं। इन तबकों के विरोध को कुचलने के लिए तथा उनके शोषण और उत्पीड़न को जारी रखने और तेज करने के लिए उनके पक्षधर बुद्धिजीवियों तथा जनवादी अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठनों के कार्यकर्ताओं को दमन का विशेष निशाना बनाया जा रहा है। फासीवादी शासक देश पर फासीवादी व्यवस्था थोपने के लिए ऐसे सभी संगठनों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि उनके निशाने पर शासक वर्गों के विपक्षी दल भी हैं परंतु वह हमला अभी उन्हें शासन के विभिन्न निकायों से हटाने तथा उनकी आय के स्रोतों पर हमले पर केंद्रित है ताकि आर.एस.एस.–भाजपा वर्तमान व्यवस्था में सत्ता पर एकाधिकार कर सके। इस अधिकार के जरिए वे शासन व्यवस्था के चरित्र को बदलना चाहते हैं। इसके लिए वे ईडी तथा सीबीआई का खुलकर राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रांतों के अधिकारों पर हमले किये जा रहे हैं ताकि प्रांतीय सरकारों में संसदीय विपक्षी दलों का नेतृत्व होना भी फासीवादी व्यवस्था लाने के उनके रास्ते में रुकावट न बने। एनआईए को राज्यों में अधिकार देना इस हमले का एक कड़ी है।

शासन व्यवस्था के फासीवादीकरण को देश के शासक वर्गों के बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। इसका मकसद जनता की बढ़ती दुर्दशा तथा बढ़ते आर्थिक बोझ के बावजूद बड़े पूंजीपतियों (कॉरपोरेट) के मुनाफे को बढ़ाना तथा प्रतिक्रियावादी तबकों (जमींदारों) के शोषण तथा उत्पीड़न को जारी रखना है। और इसलिए जनवादी अधिकारों तथा इसके लिए कार्य कर संगठनों को विशेष निशाना बनाया जा रहा है तथा इसके लिए काले कानूनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में पहले से ही काले कानून हैं और उनका इस्तेमाल जनता के खिलाफ होता रहा है। वर्तमान शासकों ने इन काले कानूनों के इस्तेमाल को बेतहाशा बढ़ा दिया है। इन कानूनों में संशोधन कर दमन के औजार को और पैना तथा मजबूत कर दिया है तथा इनका व्यापक उपयोग बुद्धिजीवियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया है।

बुद्धिजीवियों तथा कार्यकर्ताओं पर दमन के औजार के रूप में यू.ए.पी.ए. (अवैधानिक कार्रवाई निरोधक कानून} का व्यापक इस्तेमाल फासीवादी शासक कर रहे हैं। इस कानून के तहत जमानत मिलने की कठिन प्रावधानों का इस्तेमाल फर्जी तथा मनगढ़ंत आरोपों में बुद्धिजीवियों तथा कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। दरअसल मुकदमे लंबित होने के दौरान लंबी अवधि तक जेल का इस्तेमाल दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में किया जा रहा है। हाल ही में अनेक आदिवासियों को लम्बी जेल अवधि के बाद यूएपीए के तहत निर्दोष पाया गया।

भीमा कोरेगांव की फर्जी एफ. आई. आर. के तहत अनेक बुद्धिजीवी जेलों में बंद हैं। इन सब का 'अपराध' शोषण, उत्पीड़न तथा दमन के खिलाफ आवाज उठाना था। फादर स्टान स्वामी की तो जेल में मृत्यु भी हो गई क्योंकि अदालतों ने इस वयोवृद्ध को जीवन की बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने की याचिकाओं पर गौर ही नहीं किया। यह मौत दरअसल हत्याएं हैं क्योंकि इन्हें न केवल फर्जी मामले में जेल में रखा गया बल्कि बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई गई। इसके अलावा यूएपीए के तहत दोषी पाये गये पांडु नारोटे की भी जेल प्रवास के दौरान मृत्यु हो गई।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में बहुत से छात्रों तथा युवाओं को अनर्गल तथा बेबुनियाद आरोपं लगाकर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया तथा उनमें से अनेक अभी जेल में बंद है। इस मामले में आर एस एस भाजपा सरकार उसके सांप्रदायिक सीएए एनआरसी के विरोध का बदला लेना चाहती है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रांतों में कार्यकर्ता तथा आम आदिवासी यूएपीए के तहत जेलों में बंद है।

यूएपीए का यह व्यापक इस्तेमाल संघर्षरत लोगों तथा उनके साथ हमदर्दी रखने वालों तथा उनके संघर्ष का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों तथा जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं को आतंकित करने का प्रयास है। ऐसा कर फासीवादी शासक जन विरोध को कुचल कर अपने शासन को निर्बाध बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस प्रतिगामी प्रयास का व्यापक विरोध जरूरी है। व्यापक विरोध संगठित कर फासीवादी दमन के इस औजार को चुनौती देना लाजिमी है।

10 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर वृहत गोलबंदी कर आवाज को बुलंद करें : यूएपीए बंदियों को रिहा करो!

जनमत निर्माण करने की ओर आगे बढ़ो : काले कानून और फासीवादी शासन मुर्दाबाद !

हैदराबाद : 15 अक्तूबर 2022

वन संरक्षण नियमों के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष के लिए आदिवासी व किसान संगठनों की बैठक

केंद्र में सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 में पिछले दरवाजे से संशोधन के खिलाफ देश भर के आदिवासियों और जंगल पर आश्रित अन्य पारंपरिक वनजीवियों में आक्रोश बढ़ने लगा है। वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत सभी अधिकारों को सुनिश्चित रूप से लागू करने और आदिवासी व अन्य वनजीवी समुदायों पर हमले बंद करने के सवाल पर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 15 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान केंद्र में डोडी कुमरैया हाल में आदिवासी, अन्य पारंपरिक वनजीवी व किसान संगठनों की अहम बैठक हुई। बैठक में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश एंव महाराष्ट्र के संगठनों ने भाग लिया, जबकि झारखंड, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के आदिवासी संगठनों के नेता शामिल नहीं हो सके लेकिन उन्होंने समर्थन करते हुए वन संरक्षण नियम 2022 को वापस कराने के लिए आंदोलन को तेज करने का निश्चय जाहिर किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून 2022 को वन संरक्षण नियम संशोधन पारित किया था। इन नियमों को 12 अगस्त 2022 को संसद में पेश किया गया, जो एक माह बाद स्वतः पारित हो गया। बैठक में शामिल सभी संगठन इस बात पर एकमत थे कि एफसीआर 2022 वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी और अन्य वनवासी समुदायों के अधिकारों को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे, जिसमें गैर वानिकी उद्देश्यों (औद्योगिक कार्यों सड़क, कॉलोनी) के लिए वन भूमि के 'डायवर्जन' पर निर्णय लेने के लिए उनकी ग्राम सभाओं के अधिकार भी शामिल हैं। पहले वन संरक्षण नियम 2003 जिन्हें बाद में 2017 तक संशोधित किया गया था स्पष्ट रुप से जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित करते थे कि जिन गांवों की भूमि को गैर वन उपयोग के लिए किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा मांग की है, उन गांवों की वह ग्राम सभा बुलाएं और इस पर उनकी सहमति या अस्वीकार करने का निर्णय दर्ज करें।

एफसीआर संशोधित नियम 2022 उक्त पूर्वापेक्षा को कमजोर करते हैं और एक ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं जहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों यानी कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आवेदनों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के लिए वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति को भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार प्रतिपूरक वन रोपण निधि जमा कराएगी। इसके बाद 'डायवर्जन' के लिए अंतिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद कलेक्टर को एफआरए 2006 सहित सामाजिक सुरक्षा कानूनों को लागू करने के लिए कहा जाएगा। यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है।

बैठक में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के एम. बाबूराव, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर, जागृत आदिवासी दलित संगठन की माधुरी, मलकानगिरी जिला आदिवासी संघ के विजय उपाध्याय, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) के वेमुलापल्ली वेंकटरमैया, डॉ आशीष मित्तल और भालचंद्र उपस्थित थे। एआईकेएमएस के के. रंगैया और प्रभाकर, सत्यशोधक शेतकारी सभा (महाराष्ट्र) के किशोर धामले, एआईकेएमएस (विद्यानगर) के अशोक घायक, अच्युत रामा राव और चितपटी वेंकटेश्वरलू, एआईकेएमकेएस के प्रसाद, तेलंगाना गिरिजन संघम से श्रीराम नायक, एआईकेएफ से उपेंद्र रेड्डी, तेलंगाना राइतंगा समिति से जे वैंकटेश उपस्थित थे। बैठक में वन संरक्षण नियम 2022 को वापस लेने, बिना किसी विलंब के एफआरए 2006 के तहत सभी अधिकार सुनिश्चित करने और आदिवासियों व अन्य वनजीवी समुदायों के खिलाफ सभी तरह की हिंसा बंद करने के सवाल पर व्यापक चर्चा की गई।

बैठक के बाद सभी संगठनों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि वन भूमि के डायवर्जन पर विचार करने से पहले वन अधिकारों के सत्यापन और निपटान की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर इस तरह एफआरए का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन के बारे में सरकार की गैर गंभीरता स्पष्ट रूप से उजागर है।

यह नियम एफआरए 2006, एलएआरआर 2013, पेसा अधिनियम 1996 और भारत के संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार आदिवासियों और अन्य वन जीवी समुदायों को अब तक दी गई सभी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे। यह पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु के संरक्षण के लिए निर्धारित सभी सुरक्षाओं, सुरक्षा कानूनों और उपायों को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे जिससे आम लोगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के व्यापक वर्ग पर भी खतरा बढ़ेगा।

सभी संगठनों ने आरएसएस–भाजपा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

श्रीलंका संकट : क्या हुआ और क्या होगा?

हम यहां न्यू डेमोक्रेसी के सितम्बर अंक में प्रकाशित एक लेख के अंश प्रकाशित कर रहे हैं। यह लेख का. *सिवानंदन सिवासेग्रम* द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्हीं हिस्सों को शामिल किया गया है जिसमें अरगालय पर टिप्पणियां हैं तथा संघर्ष को आगे ले जाने के लिए कार्यभार को निरुपित किया गया है। – संपादक

अरगालय का विश्लेषण

अरगालय एक मध्य वर्गीय विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था जो यह समझने में चूक कर गया कि एक अराजनीतिक शहरी विरोध देश को आर्थिक सुधार के रास्ते पर ला सकता है। सरकार के नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली चीजों के रूप में इसकी पहचान तो सही है लेकिन यह एक अधूरी तस्वीर है क्योंकि देश 1978 के बाद से खुली आर्थिक नीति अपनी वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है जिसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। गैर जरूरी उपभोक्तावाद, युद्ध और अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए भारी कर्ज लिया गया। आर्थिक संकट के स्रोत के रूप में अरगालय की उल्लेखनीय चूक साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों की ओर इशारा करती है।

इसका संसदीय प्रणाली में विश्वास था और इसने मुट्ठी भर लोगों के भ्रष्टाचार पर अर्थव्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। यहां तक कि जब उसने सुझाव दिया कि सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए तब भी उसने संसदीय प्रणाली को खारिज नहीं किया। यह एहसास कि मौजूदा संसदीय प्रणाली देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। हालांकि अरगालय के भीतर यह सोच अंकुरित होना शुरू हुई हुई थी लेकिन एक नीतिगत विकल्प के रूप में परिपक्व होने के लिए जिस समय की दरकार थी वह नहीं था और उससे पूर्व ही अरगालय पटरी से उतर गया था।

अरगालय अपने धर्मनिरपेक्ष और समावेशी रुख के लिए सराहनीय था। राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कानून के शासन का आह्वान, निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना, राज्य के साथ–साथ सरकार समर्थक बलों द्वारा खतरे की अवहेलना करना, लेकिन यह मानना कि बुर्जुआ संसद के माध्यम से ही यह परिवर्तन संभव होगा उसकी नादानी थी।

राष्ट्रीय प्रश्न की चर्चा अपर्याप्त राजनीतिक बहस से बच गई थी। यह तमिल राष्ट्रवादियों के लिए तमिलों को दूरी बनाए रखने के लिए राजी करने का एक बहाना बन गया केवल तमिल वामपंथी, विशेष रूप से एनडीएमएलपी ने मुख्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए अरगालय में क्षमता देखी थी।

अरगालय ने राज्य की वर्गीय प्रकृति को नजरअंदाज किया और (एनजीओ की सक्रियता को सराहा) सशस्त्र बलों और पुलिस द्वारा दिखाए गए ताकत को जनता के क्रोध के डर के रूप में देखा और आशा व्यक्त की कि उन्हें निष्प्रभावी किया जा सकता है।

राजनीतिक रवैये

अरगालय का समर्थन करने वाले संसदीय राजनीतिक दलों ने इसे सरकार के पतन के बाद चुनावी उत्थान के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखा। कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से चाहा कि अरगालय राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले अधिक से अधिक लोगों को इस्तीफा देने से रोक दे। साथ ही उन्होंने भारी जनाक्रोश को आगामी चुनावों में प्रचारकों और अपने लिए वोट बटोरने वाली भीड़ के रूप में देखा जो कभी एसएलपीपी के नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े थे, लेकिन हाल ही में वह उससे अलग हो गए और उन्हें अरगालय से कम उम्मीद थी और इस तरह वह उसके महत्वपूर्ण समर्थक बन गए। रानिल सहित वह सभी कट्टर दक्षिणपंथी थे, जिनका अरगालय का समर्थन नाममात्र का था और विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार तक ही सीमित था।

रानिल द्वारा फैलाई गई हिंसा के सामने अरगालय के पतन ने शहरी मध्य वर्ग की ढुलमुल प्रकृति को उजागर कर दिया जिनमें से कई ने अलोकतांत्रिक और गैर–कानूनी आचरण के नाम पर अरगालय से खुद को दूर कर लिया और उसे नीचा दिखाया। गैर सरकारी संगठन शर्मिंदा हैं और रानिल की भर्त्सना करते हैं लेकिन वह राज्य की दमनकारी नीति के खिलाफ लामबंदी करना बंद कर देते हैं।

अमेरिका और उसके सहयोगी भी शर्मिंदा थे क्योंकि गैर सरकारी संगठनों के लिए उन्हें गुप्त रूप से धन देने के माध्यम से विरोधियों के अपने समर्थन से पीछे हटना पड़ा। कुछ लोगों को अभी भी घटनाओं के उस मोड़ से सामंजस्य बिठाना है जो रानिल को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत हैं तो इसे आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए।

बड़े झटके के बाद की स्थिति

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के पास राष्ट्रपति की समस्त कार्यकारी शक्तियां हैं जिससे वह पूर्व शासकों – राजपक्षे के हितों की रक्षा कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विक्रमसिंघे की छवि भले ही एक सख्त नेता के रूप में हो लेकिन वह राजपक्षे परिवार और उनके साथियों के हितों पर चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते।

राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की ईंधन राशनिंग योजना द्वारा ईंधन की कमी को काफी हद तक दूर किया है लेकिन वाहनों को किराए पर लेने वाले या निजी उपयोगकर्ताओं को अपना अधिकांश ईंधन काला बाजार में खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें पेट्रोल पंप भी शामिल हैं। सभी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं और बाल कुपोषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। बिजली के छोटे उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी हटाने से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को झटका लगा है। ऐसा लगता है कि सब्सिडी को हटाना आईएमएफ से राहत पाने की उम्मीद में है।

आईएमएफ क्रेडिट के प्रति उत्साही शायद ही कभी प्रकट करते हैं कि आईएमएफ ऋण देश को कर्जदार बनाए रखने के लिए निर्मित किए गए हैं, लेकिन मेहनतकश जनता पर बोझ डालकर ऋण चुकाने में सक्षम हैं। आईएमएफ सौदे के कुछ महीनों बाद ही उसकी तकलीफ जनता को महसूस होगी।

विदेश नीति अमेरिकी साम्राज्यवाद और भारतीय विस्तारवादी क्षेत्रीय हितों के अनुरूप होगी लेकिन चीन को नाराज करने से बचने की संभावना है क्योंकि अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोलंबो पोर्ट सिटी पर निर्भर होने की संभावना है।

श्रीलंका में शासकों द्वारा उठाए गए कदमों से प्रारंभिक आर्थिक सुधार की संभावना नहीं है और भले ही वस्तुओं की कमी को समाप्त कर दिया गया हो। बढ़ती कीमतें आबादी के बड़े हिस्से को आवश्यक वस्तुएं सहित अन्य वस्तुओं की पहुंच से वंचित कर देंगी, जबकि बड़े पैमाने पर विरोध की स्थिति में राज्य मशीनरी को टकराव के लिए तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक विरोध के दायरे को सीमित करने के लिए कानून बनाया गया है और बढ़ते जन आंदोलन की स्थिति में इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है।

पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों और स्थानीय प्रतिक्रियावादियों के गठबंधन द्वारा फासीवादी शासन की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी लेकिन कोई भी संसदीय राजनीतिक दल इसके खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा अथवा क्षमता नहीं दिखाता और खतरा एहसास के करीब पहुंचता जाता है।

क्या करना चाहिए ?

• एक तात्कालिक अर्थ में अरगालय राज्य के उत्पीड़न के प्रतिरोध के पुनरुत्थान के लिए सबसे आशावादी स्थान प्रदान करता है।

राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय के लिए एक लोकतांत्रिक समाजवाद विरोधी आंदोलन का निर्माण करते हुए वास्तविक वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के सामने चुनौती है। सभी नागरिकों के लोकतांत्रिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा को राज्य के दमन के खिलाफ तत्काल और केंद्रीय लड़ाई की आवश्यकता होगी।

अरगालय अभियान में आर्थिक मांगे और सामाजिक न्याय का आह्वान अनिवार्य रूप से रहेगा क्योंकि यह अभियान एक जन आधारित प्रगतिशील साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में विकसित होता है।

• 7 महीने के संघर्ष के अनुभव से सीखने की बहुत जरूरत है।

दुस्साहसवाद के खतरे कई गुना हैं और जिन लोगों ने कुछ गलत कार्यों को वीरता के रूप में स्वीकार किया, वह विरोध के पतन के बाद उन्हें अधर्म के रूप में निंदा करने के लिए तत्पर थे।

एनजीओ जैसी संस्थाओं के माध्यम से निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा घुसपैठ के खिलाफ सावधानी महत्वपूर्ण है।

• निम्न विषयों पर राजनीतिक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है;

साम्राज्यवाद को समझना और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में उसके महत्व को भी समझना जरूरी है।

विकास को इस तरह से परिभाषित करना कि वह देश को साम्राज्यवादी आर्थिक पकड़ से मुक्त कर सके।

इस बात की सराहना करते हुए कि आर्थिक मुक्ति का वितरण देश के सामने राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक संकटों के समाधान की मांग करता है।

• वास्तविक वामपंथियों संकीर्ण अवसरवादी हितों द्वारा अपहृत होने से बचने के लिए अरगालय के प्रति एक यथार्थवादी और लचीला रवैया अपनाने की जरूरत है। प्रतिक्रियावादी विचार और कार्य को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

• देश को पश्चिमी कर्ज के जाल से मुक्त करना आर्थिक सुधारों के केंद्र में है और इसके साथ आर्थिक गतिविधियों को उपभोक्तावाद से दूर करना, सेवा क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाना और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के आधार पर देश का पुनः औद्योगिकीकरण करना होगा।

• संघर्ष को राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के हस्तांतरण की दिशा में सामाजिक और आर्थिक कार्यों में जनता की सक्रियता के विरोध से आगे बढ़ना है।

• राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान के लिए राष्ट्रीयताओं के साथ–साथ धर्मों के बीच शत्रुता को समाप्त करने के कदमों के साथ चार राष्ट्रीयताओं से संबंधित एक के रूप में मान्यता की आवश्यकता है।

• मुक्ति भी प्रमुख प्रतिक्रियावादी विचारधारा से मुक्ति है और पदानुक्रम को खत्म करने के लिए लिंग और जाति समानता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण आवश्यक है।

• सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय के लिए जनता को लामबंद करने की दिशा में आगे बढ़ने के संघर्ष को साम्राज्यवाद विरोधी, प्रबुद्ध विरोधी, रुख में दृढ़ होना होगा। संक्षेप में विकास की प्रक्रिया में संघर्ष को एक शैक्षिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए ताकि वह खुद को एक क्रांतिकारी हिरावल के रूप में ढाल सके।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका की प्रति का मूल्य इस अंक बढ़ाया गया है। कृपया अपना सहयोग बनाये रखें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*

साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया के चंगुल में

शासन के खिलाफ इरानी जनता का विरोध

दो महीने से अधिक समय से ईरान में नैतिकता पुलिस की हिरासत में तेहरान में एक 22 वर्षीय कुर्द महिला, महसा अमिनी, की मौत के बाद से व्यापक जन विरोध देखा जा रहा है। हिजाब ठीक से न पहनने के कारण उन्हें 13 सितंबर को हिरासत में लिया गया और तीन दिन बाद हिरासत में मृत घोषित कर दिया गया। ये विरोध प्रदर्शन ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए हैं। अलग अलग अनुमानों के अनुसार 300 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 40 से अधिक बच्चे हैं और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं और युवाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई है– युवा महिलाएं आगे रहीं हैं। धार्मिक शासन द्वारा क्रूर दमन, आर्थिक कठिनाइयों के बढ़ने और पितृसत्ता थोपे जाने के खिलाफ लोगों के सुलगते गुस्से को बढ़ा रहा है जो वर्तमान शासन की विशेषता बन गया है।

पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन विरोध कई महीनों से चल रहे थे। वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी मौलवियों की एक परिषद द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के बीच चुनाव के माध्यम से सत्ता में आये हैं। सत्ता में आने के बाद से, रायसी ने जुलाई 2022 से महिलाओं पर सख्त ड्रेस कोड लागू किया है। बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के अलावा कुछ प्रसिद्ध लोगों सहित कई महिलाओं को "अनुचित कपड़े" के लिए गिरफ्तार किया गया था। गहराते आर्थिक संकट और लोगों के बढ़ते मोहभंग में उलझे धार्मिक शासन ने पितृसत्तात्मक अंकुशों को बढ़ाने सहित धार्मिक लफ्फाजी को और तेज किया है।

यह शासन लोगों के गुस्से पर ध्यान देने से इनकार कर रहा है, इसके बजाय यह सब पहचाने दुश्मनों– संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल– को शासन विरोधी अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। विरोध प्रदर्शनों पर दो सप्ताह से अधिक समय तक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता, अयोतुल्ला खमेनी ने प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए विरोध प्रदर्शनों को "युवती की दुर्भाग्यपूर्ण मौत" का इस्तेमाल कर देश को अस्थिर करने के लिए दुश्मन की एक योजना के रूप में बताया। संभवतः अपने शासन की घटती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने लोगों से कहा, "दोशमन न केवल इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ है, वे एक मजबूत और स्वतंत्र ईरान के खिलाफ हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि अस्थिरता फैलाने का दुश्मन का यह प्रयास पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद उनके शासन द्वारा की गई आर्थिक उन्नति के कारण है। खमेनी और इस्लामी गणतंत्र ईरान के अन्य नेता समझने में विफल रहे हैं या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं कि लोग इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शनों में क्यों शामिल हो रहे हैं? खमेनी ने शाह पहलवी की गुप्त सेवा से नफरत करने का जिक्र करते हुए प्रदर्शनकारियों को "सावक एजेंटों के परिवार के सदस्य" बताया है। यह उस देश में धर्माधिकारियों के 43 साल के अबाधित शासन के बाद हो रहा है। वे जनता के बढ़ते गुस्से तथा अपने शासन बढ़ती अलोकप्रियता के असली कारणों को या तो देखना नहीं चाहते या देखने में असमर्थ हैं तथा पश्चिमी शक्तियों की साजिशों के नाम पर जनता का दमन कर रहे हैं। हालांकि ये साजिशें तथ्य हैं।

पश्चिमी शक्तियों की सरकारें – संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ–साथ ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य इस दमन के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका यह पाखंड यानी लोकतंत्र की वकालत का सच उनके तेल समृद्ध अरब देशों के राजतंत्रों, खासकर सऊदी अरब के राजशाही को समर्थन से साफ उजागर होता है। अमेरिकी शासक यह भी चाहेंगे कि ईरान के लोग भूल जाएं कि कैसे उनके सीआईए और ब्रिटिश खुफिया तंत्र ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मोसादेग सरकार को उखाड़ फेंका था और अपने कठपुतली शाह पहलवी को सत्ता में स्थापित कर उन्हें ढाई दशक से अधिक समय तक सत्ता में बनाए रखा। शाह शासन क्रूर दमन और विरोधियों की हत्याओं के लिए कुख्यात था। इस अमेरिकी–ब्रिटिश थोपी हुई हुकूमत को 1979 में उखाड़ फेंका गया था। अमेरिका और पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने अपनी चाल नहीं बदली है, वे उन देशों में शासन परिवर्तन के अपने खेल में लगे हैं जो उनके अनुकूल नहीं हैं। अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों और ईरानी शासन की रूस और चीन से बढ़ती निकटता की स्थिति में यह साजिश और तेज हो गई है। रुस और चीन से सम्बंधों के साथ–साथ अपनी बढ़ती ताकत के कारण तेल और गैस समृद्ध इस क्षेत्र में ईरान पश्चिमी शक्तियों के लिए चिंता का केंद्र बनकर उभरा है।

जहां साम्राज्यवादी साजिशें एक सच्चाई हैं, जन विरोध का असली कारण मौलवियों के शासन के खिलाफ ईरान के लोगों का गुस्सा है। ये विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर खींच रहे हैं, जो सैकड़ों लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बावजूद सुरक्षा बलों के हमले का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ये बड़े विरोध प्रदर्शन दो महीने से अधिक समय से जारी हैं, सुरक्षा बलों के हाथों हर मौत और क्रूर बल के हर प्रयोग से और बड़ी संख्या में लोग विरोध में शामिल हो रहे हैं। लोगों के गुस्से में योगदान करने वाले विभिन्न कारकों में उनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और ईरान में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता है। इस असमानता को बाद के जीवन में समानता के वादों के साथ गायब नहीं किया जा सकता है। लोगों का दर्द वास्तविक है और इसे शासकों द्वारा महान आर्थिक उन्नति या छलांग के दावों से कम नहीं किया जा सकता।

रायसी प्रशासन के अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद, आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर "दोगुनी होकर 54 प्रतिशत" हो गई है। सरकार के नेता और सर्वोच्च नेता पश्चिमी शक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की बात करते हैं जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं लेकिन वे यह उल्लेख नहीं करते हैं कि प्रतिबंधों ने शीर्ष 1 प्रतिशत ईरानियों के हाथों में धन के संकेंद्रण को और भी बढ़ा दिया है। जैसा कि बेहरूज़ तबरीज़ी ने उपयुक्त टिप्पणी की है, "ईरानियों ने दिखाया है कि वे सभी प्रकार के विदेशी दबावों की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह नहीं सहन कर सकते कि बड़ा बहुमत पीड़ा सहन में हैं जबकि गिनती के लोग प्रतिबंधों को दरकिनार कर लाभ उठा रहे हैं।" विभिन्न देशों में जनविरोधी शासकों की तरह ही ईरान के शासक अमीरों को और अमीर होने देने बल्कि उसमें मदद करने के लिए लोगों को बलिदान देने को कह रहे हैं। बलिदान देने की यह पुकार और कुछ नहीं बल्कि लोगों से अपने आप को लुटने देने की पुकार है।

गहराते संकट की पृष्ठभूमि में, ईरानी शासक शिक्षा, संस्कृति आदि को नियंत्रित करने के लिए अरबों खर्च करने वाली अपनी धार्मिक परियोजना के माध्यम से अपने नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इस परियोजना के मूल में महिलाओं पर बढ़ता नियंत्रण है, जो उनकी पहले से ही सीमित आजादी को और सीमित कर रहा है। ये प्रतिबंध नैतिकता पुलिस द्वारा लागू किये जा रहे हैं। महसा अमिनी के साथ जो हुआ वह कोई अपवाद नहीं था बल्कि बड़ी संख्या में ईरानी महिलाओं, विशेष रूप से शिक्षित महिलाओं का एक सामान्य अनुभव था। साझा अनुभव के कारण विरोध प्रदर्शनों में साझा भागीदारी हुई है।

ईरान एक मध्यम आय वाला देश है और इसे मध्यम विकसित देश माना जाता है। यहां साक्षरता अधिक है और महिलाओं सहित शिक्षा व्यापक है। यह विडंबना ही है कि ऐसे जीवंत समाज जहां शिक्षित युवा– शिक्षित महिलाओं और पुरुषों का एक बड़ा वर्ग प्रगतिशील और सहिष्णु है, पर एक पिछड़े वाले मौलवियों का शासन होना चाहिए। इस विसंगति की जड़ें ऐतिहासिक होने के साथ–साथ समाज की रचना और उसकी राजनीतिक अभिवयक्ति में हैं।

ईरान तेल और गैस के स्रोतों में समृद्ध देश है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। लेकिन कच्चे तेल के औद्योगिक शोधन से पहले भी ईरान समृद्ध था। ईरान के उत्तर–पश्चिम और पश्चिमी भागों में अन्न उत्पादन होने के साथ ईरान कृषि उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में दसवें हिस्से का योगदान देने साथ श्रम शक्ति के छठवें हिस्से (17 प्रतिशत) को रोजगार देती है। यहाँ विषम भूस्वामित्व, अपर्याप्त सिंचाई (केवल एक तिहाई खेती की जमीन सिंचित है) और उत्पादन के पिछड़े साधनों ने उत्पादन को कम रखा है। ईरान के पास उद्योगों का एक समृद्ध आधार है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 35 प्रतिशत योगदान देता है और समान काम करने लोगों को रोजगार (35 प्रतिशत) देता है। ईरान में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आधा (48 प्रतिशत) योगदान होता है और 44 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार मिलता है। तेल और गैस निर्यात कुल निर्यात आय का लगभग 80 प्रतिशत योगदान देता है जबकि यह केवल 1 प्रतिशत कामकाजी लोगों को रोजगार देता है। उद्योगों में, एक बड़ा हिस्सा राज्य के स्वामित्व में है (लगभग 60 प्रतिशत), हालांकि पिछले डेढ़ दशक से राजकीय उद्यमों के निजीकरण में तेजी लाई गई है। इससे स्पष्ट है है कि धार्मिक प्रतिष्ठान आय और औद्योगिक उत्पादन के बड़े स्रोतों पर एकाधिकार कर जनता के जीवन के साधनों को काफी हद तक नियंत्रित करते हैं। कामकाजी आबादी बड़ी संख्या में है और उच्च शिक्षा के संस्थानों में युवा– पुरुषं और महिलाएं अच्छी संख्या में हैं। यह जीवंत समाज है जिसे धार्मिक प्रतिष्ठान नियंत्रित करना चाहते हैं।

हालांकि विरोध प्रदर्शन बड़े हैं लेकिन इसमें मुख्य रूप से शिक्षित युवाओं– महिलाओं और पुरुषों, छात्रों और शिक्षकों, शिक्षाविदों और पेशेवरों, आदि मध्यम वर्ग के लोग अधिक हैं। एक नए समाज को तराशने के लिए, इन्हें मजदूर वर्ग की अगुवाई तथा समर्थन की आवश्यकता है। ईरान में मजदूर काफी संख्या में हैं। साथ ही उत्तर पश्चिम और पश्चिम क्षेत्रों में केन्द्रित किसान जनता के समर्थन की भी जरुरत है। किसान जनता काफी अशांत हैं। कई देशों में फूटे और जो अब भी फूट रहे हैं, कई विरोध प्रदर्शनों में देखा गया है ये व्यवस्था को बदलने में तभी सफल हो सकते हैं यानी एक नई व्यवस्था की शुरुआत तभी हो सकती है जब ये एक मजबूत मजदूर वर्ग आंदोलन के साथ साथ मिलकर हों या वहां क्रांतिकारी कृषि आंदोलन हो। तुर्की में केमालिस्ट नेतृत्व ने पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया को गले लगाने के लिए यू–टर्न लिया था। तब इन कारकों के महत्व अर्थात मजबूत मजदूर आंदोलन तथा किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन की अनुपस्थिति को कारकों के रुप में चिन्हित किया गया था। वर्तमान विरोधों ने कुर्बानियों के जरिये कुछ सफलताएं हासिल की हैं। मौलवियों के शासन की स्थापना के बाद से पहली बार राज्य टेलीविजन सहित मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। सांसदों सहित विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच और स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में अनिवार्य हिजाब लागू करने के लिए नैतिकता पुलिस के उपयोग पर खुली चर्चा हो रही है।

सत्ताधारी धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए यह आंदोलन एक बहुत गंभीर चुनौती है। यह निश्चित रूप से कुछ बदलावों को मजबूर करेगा लेकिन इसको सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बनने के लिए बुनियादी वर्गों को लामबंद करना होगा। आंदोलन की मुख्य निशाना धार्मिक शासन द्वारा मनमानी थोपने के खिलाफ है। हिजाब का मुद्दा अब भी पहले की तरह केवल लोकतंत्र की कमी के विरोध की अभिव्यक्ति है; महिलाओं को अपनी पसंद के अधिकार से वंचित करने के खिलाफ विरोध। शाह के ईरान में हिजाब पहनना तानाशाही राजशाही के विरोध का प्रतीक बन गया था। आज के ईरान में अनिवार्य हिजाब का विरोध एक प्रतीक के रूप में सामने आया है। लेकिन अंतर्निहित कारण वही है– पसंद के अधिकार का हनन,

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जी.एम. सरसों का पर्यावरण प्रसार जारी, एच.टी. कपास का भी प्रस्ताव : मोदी का "जय अनुसंधान" का नारा विदेशी कम्पनियों का जयकारा है

मोदी का "जय अनुसंधान" का नारा विदेशी कम्पनियों

आशीष

जीएम बीज यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज किसी एक प्रजाति के डीएनए का अंश दूसरी प्रजाति के डीएनए चेन में डालकर बनाये जाते है। ये जीएम बीज प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। प्रजातियों में ये संशोधन उनमें कुछ अतिरिक्त गुण प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं। ये गुण ज्यादा उत्पादकता, पौष्टिक तत्वों में वृद्धि, कुछ कीटनाशक औषधियों से बचे रहने की क्षमता, कुछ ऐसे प्रोटीन निर्मित करना जो कीड़ों, वायरस या बैक्टीरिया को मार सके या सूखा क्षेत्रों में उगने की क्षमता, आदि, हैं। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बैज्ञानिकों में यह भय है कि इस पुनरावर्त डीएनए का प्राकृतिक प्रजातियों में प्रसार होने से प्राकृतिक संतुलन में काफी उलट–पुलट हो सकता है।

जहां अमेरिकी कम्पनियां जीएम खाद्यान्नों में अग्रणी हैं, कई देशों में इन खाद्यान्नों पर प्रतिबंध लगा है। भारत में यह विवाद जीएम सरसों, कपास व बैगन पर केन्द्रित है, जबकि दुनिया भर में इनके अतिरिक्त टमाटर, आलू, फल, गन्ना, आदि में इनका प्रयोग जारी है।

पर्यावरण प्रसार की अनुमति : "देशी" आवरण के साथ विदेशी तकनीकी

18 अक्टूबर को जीएम बीजों के सरकारी रेगुलेटर जीईएसी ने डीएमएच –11 नामक अनुवांशिक संशोधित सरसों बीज के पर्यावरण प्रसार की अनुमति दे दी। कहा ये दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्मित है, जबकि असल में इसकी मालिक जर्मनी की रसायनिक कम्पनी बेयर है। इसी तरह एचटी कपास, यानी कीटनाशक सहनशील कपास बीज को भी अनुमति दी जाने वाली है। इस बीज का मालिक भी बेयर है, जबकि भारत में इसका प्रसार महको कर रहा है।

तकनीकी

1. डीएमएच–11 सरसों : सरसों में स्वपरागण द्वारा प्रजनन होता है। जीएम सरसों पर–परागण कराकर, यानी सरसों की दूसरी प्रजाति से परागण कराकर बीज तैयार किया गया है। ऐसा करने हेतु मेजबान प्रजाति में परागण करने की क्षमता समाप्त की गयी और पर–परागण कराने के पश्चात मेजबान प्रजाति को बढ़ाया गया। इस पर–परागण के क्रम में उसमें स्व–परागण की प्रक्रिया पुनः स्थापित की गयी और साथ में खर–पतवार दवाओं के बेअसर होने की क्षमता भी विकसित की गयी। ऐसा इसलिए किया कि पर–परागण होने के बाद बड़ी मात्रा में खर–पतवार दवा का छिड़काव किया जा सके जिससे यह संशोधित जीएम प्रजाति फले–फूले पर सारी प्रजातियां मर जाएं।

2. एचटी कपास : इस जीएम कपास बीज, 'बीजी–II आरआरएफ', के सारे फील्ड प्रयोग व अनुसंधान 2012–13 में अमेरिका की मॉनसैन्टो कम्पनी द्वारा किये गये थे। पर्यावरण में खुले प्रयोग की अनुमति न मिलने पर मॉनसैन्टो ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। 2018 में मॉनसैन्टो कम्पनी को जर्मनी की रसायन कम्पनी बेयर ने खरीद लिया। इस बीज में ये क्षमता थी कि कपास के पौधे में ऐसे प्रोटीन बन जाते थे, जो बोलवर्म टिड्डी के लिए जहरीले थे और उनके हमले से पौधे का बचाव हो जाता था। इस बीज में खर–परवार दवा ग्लाइफोसेट की मार से बचने की क्षमता मौजूद है।

यह दोनो जीएम बीज असल में रासायनिक खर–परवारों से बचने की क्षमता रखते हैं। इनमें ज्यादा पैदावार की कोई साबित क्षमता नहीं है। इनकी तकनीकी की मालिक भी बेयर कम्पनी है और बेयर कम्पनी ही दुनिया भर में ग्लाइफोसेट की प्रधान विक्रेता है।

दावे व प्रतिदावे :

1. दावा है कि परपरागण तकनीकी के कारण डीएमएच–11 की औसत उत्पादकता सरसों की आम प्रजातियों से 28 फीसदी ज्यादा है। कहा गया कि 1 हेक्टेअर में 10 से 13 कुन्तल सरसों पैदा होती है और पिछले दो दशकों से यह वहीं टिकी हुई है। यह कनाडा, चीन व आस्ट्रेलिया से एक तिहाई है। कुछ और अध्ययन बताते हैं कि भारत में अलग–अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में पारम्परिक सरसों का उत्पादन 30 से 50 कुन्तल प्रति हेक्टेअर है। डीएमएच–11 का जब प्रयोग किया गया तो उसकी तुलना कम उत्पादन वाली सरसों की किस्मों से की गयी ताकि सकारात्मक परिणाम दिखाए जा सकें। इस तकनीकी का विरोध करने वाले स्पष्ट कहते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों, मृदा, जल, जैवविविधता, घटती उत्पादकता आदि से बचने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा नए किस्मों को पैदा करने का प्रयास एक अच्छी सोच है, पर डीएमएच–11 इनमें से कोई समस्या हल नहीं करती।

2. दावा है कि बीटी काटन से उत्पादन प्रति एकड़ 120 गट्ठरों (बेल) से बढ़कर 200 गट्ठर पहुँच गई, पर इन आंकड़ों पर बहुत विवाद है और 2000 के दशक में जब बीटी काटन की शुरुआत की गयी तब भी इस पर बहुत विवाद था।

'नेचर' नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में छपे मूल्यांकन के अनुसार "बिना आलोचना के दावा किया जा रहा है कि बढ़ा हुआ उत्पादन बीटी बीज के कारण है ..... पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय खेती पर बीटी कपास की मुख्य भूमिका लागत बढ़ाने की रही है, न कि प्रभावी आर्थिक लाभ पहुँचाने में"।

प्रो0 प्ल्यूइस के अध्ययन के अनुसार विभिन्न राज्यों के बीटी कपास के अनुभव बताते हैं कि कुछ में कीटनाशक दवाओं की जरूरत घट गयी और अन्य में नहीं घटी, कुछ में उत्पादन बढ़ गया पर अन्य में नहीं बढ़ा, कुछ में आमदनी बढ़ी पर अन्य में नहीं बढ़ी।

तुला नामक सामाजिक संगठन के संस्थापक अनन्थ सयनन का कहना है कि "बीटी कपास ने निश्चित तौर पर उत्पादन नहीं बढ़ाया है, खासकर बारिश वाले क्षेत्रों में" और "इस बीज के प्रयोग का क्षेत्रफल अन्य कारणों से बढ़ा है, जिसमें बाजार में केवल बीटी बीज उपलब्ध होना और पारम्परिक बीजों का गायब होना प्रमुख है"।

जीन कैम्पेन की सुमन सहाय के अनुसार ".. बीटी कपास के प्रयोग का क्षेत्र बढ़ा है, ना कि उसकी प्रति एकड़ पैदावार"। यह बताया गया कि पैदावार में कुल वृद्धि सिंचाई में सुधार, खाद की उपलब्धता तथा बीजों पर रसायनों के असर के कारण भी हुई है।

कपास अनुसंधान के केन्द्रीय संस्थान सीआईसीआर के केन्द्रीय निदेशक डा. के.एस. क्रांति का कहना है कि "2004 से 2011 के बीच बीटी कपास बीज का प्रयोग 5.4 फीसदी से बढ़कर 96 फीसदी हो गया, पर औसत प्रति एकड़ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई।"

हालांकि डाइरेक्टरेट आफ इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक के अनुसार 2002–03 और 2019–20 के बीच प्रति हेक्टेअर उत्पादन 191 किलो से बढ़कर 436 किलो हो गया, एक संसदीय समिति की 2017 की रिपोर्ट में कहा गया कि "2000 से 2005 के बीच कपास की प्रति एकड़ उत्पादकता 69 फीसदी बढ़ी, तब बीटी कपास बीज मात्र 6 फीसदी में इस्तेमाल होता था, पर उसके अगले वर्षों में 2005 से 2015 के बीच यह उत्पादकता मात्र 10 फीसदी बढ़ी जबकि बीटी कपास का उपयोग 94 फीसदी क्षेत्रफल में हो रहा था।"

बीटी कपास के उत्पादन के विषय में तीन बिन्दुओं पर सबकी सहमति है।

क) तीन गुना मंहगा बीज होने के कारण खेती की लागत बढ़ जाती है।

ख) बोलवर्म से लड़ने की बीटी कपास की क्षमता घटती गयी है। नई टिड्डियों के हमले बढ़ रहे हैं। 2015 में पंजाब में वाइड फ्लाई हमले ने 75 फीसदी पैदावार समाप्त कर दी थी।

ग) पैदावार में वृद्धि कभी भी बीटी का वांछित लक्ष्य नहीं था।

2022 की कीटनाशक एटलस के अनुसार जब से बीटी कपास का उपयोग शुरु हुआ है, किसानों का कीटनाशक दवाओं पर खर्च 37 फीसदी बढ़ गया है। 2016 का कृषि मंत्रालय का एक पत्र कहता है कि 2002 में प्रति हेक्टेअर 96 किलो खाद इस्तेमाल होता था जो 2013 में बढ़कर 223 किलोग्राम हो गया।

यह स्पष्ट है कि यह कृत्रिम बीज पारम्परिक बीजों को समाप्त कर दे रहे हैं। देशी सरसों पर खतरा मंडरा रहा है, स्वदेशी कपास लगभग लुप्त हो चुकी है।

इस तकनीकी के हानिकारक प्रभाव :–

1. *मधुमक्खियों पर असर* : जीईएसी ने अनुमति देते समय मधुमक्खियों व अन्य परागण कीड़ों पर असर की जांच की सलाह दी है। हालांकि विशेषज्ञ समिति ने यह उम्मीद जताते हुए कि कोई असर नहीं होगा, व्यवसायिक प्रयोग की सलाह दे दी थी। स्पष्ट है कि जैव सुरक्षा का परीक्षण नहीं किया गया है और इस अनुवांशिक संशोधन तथा खर–पतवार दवाओं का असर निश्चित तौर पर मुधमक्खियों पर हो सकता है।

2. *एचटी (कीटनाशक सहनशील) जीएम बीज* : बेयर कम्पनी इस तकनीकी को बढ़ाने पर लगातार जोर देती रही है, जबकि जीईएसी का कहना है कि खर–पतवार का प्रयोग केवल बीज निर्माण की प्रक्रिया में होगा, पर खेती में इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार सीधे–सीधे धोखा दे रही है ताकि कम्पनी के बीज भी खूब बिकें और दवा भी।

3. *स्वास्थ्य चिंताएं* : एचटी फसलें स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। एचटी फसलें उगेंगी तो खर–पतवार दवाओं का प्रयोग बढ़ेगा, खाने, मिट्टी, पानी, अन्य वनस्पतियों, कीड़ों, जंगली पेड़–पौधों व पशुओं, पशुओं की घास, दूध व मीट सभी में इसकी मात्रा बढ़ेगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका व्यापक नुकसान होगा क्योंकि भारत में परीक्षण के लिए भी ऐसे अलग खेत नहीं बनाए जा सकते जो सामान्य खेती से अलग–थलग हों, यानी बफर जोन हो। आधी आबादी गांव में रहती है और हरियाली पर निर्भर है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब का मालवा क्षेत्र जो "हरित क्रांति" की धरती है, वहां रसायनों की विषाक्तता के कारण कैंसर में तेज वृद्धि हुई। इन बीजों से पैदा खाने का पोषण पर प्रभाव और इन बीजों से होने वाली एलर्जी (खुजली) आदि का भी स्पष्ट मुल्यांकन जरूरी है।

4. *डीएनए प्रदूषण, जल स्तर व पर्यावरण पर असर* : दुर्भाग्यपूर्ण है कि अप्राकृतिक ढंग से फसलों की पैदावार बढ़ाने वाली नुकसानदेह तकनीकी को विकसित करने में कम्पनियां जुटी हुई हो और सरकार साथ दे रही है। पैदावार बढ़ाने का काम प्रकृति के अनुरूप फसलों की रूपरेखा बदलकर भी किया जा सकता था। पंजाब में हाईब्रिड बीजों के कारण जलस्तर गम्भीर रूप से गिर गया। अब अगर पुनरावर्त डीएन प्रकृति की जंगली प्रजातियों में फैलेगा, यानी डीएनए प्रदूषण बढ़ेगा तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसे नए नुकसानदेह कीड़ों व जंगली घासों का पैदा हो जाना। वाइट फ्लाई एक उदाहरण है।

आर्थिक लाभ के तर्क :

दावा किया गया कि वर्ष में 1.6 लाख करोड़ (19 अरब डालर) खर्च करके भारत 140 से 145 लाख टन तेल आयात करता है। प्रमुख आयात में पाम, सूरजमुखी व सोया तेल है। औसत आयात दर लगभग 110 रुपये किलो है। भारत में सरसों की कमी नहीं है और सालाना आवश्यकता 28 लाख टन की तुलना में औसत उत्पादन 26 लाख टन है। विविध संस्कृति वाले भारत में, जहां लोगों के स्वाद अलग–अलग हैं, सरसों के उत्पादन में वृद्धि से अन्य तेलों की अवश्यकता कम नहीं होगी। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति कुन्तल नियुक्त किया है, जबकि फसल के आने पर बाजार में इसका रेट 4000 रु. प्रति कुन्तल तक गिर जाता है। जो एमएसपी घोषित की गयी है वह भी आयात की तुलना में कम है।

खाद्यन्न श्रृंखला पर बढ़ता साम्राज्यवादी नियंत्रण :

जीएम बीजों के उत्पादकों को छूट देने का प्रश्न कई बिन्दुओं से जुड़ा हुआ है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, बीज उत्पादन की तकनीकी, खाद्यान्न के बाजार और इससे जुड़ी देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर बड़ी विदेशी कम्पनियों का नियंत्राण। विश्व जीएम बीज बाजार का मूल्य आज 69 अरब डालर है और इस पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पूर्ण नियंत्रण है। जीएम तकनीकी साम्राज्यवादी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे भारत की कृषि व खाद्यान्न श्रृंखला पर कब्जा करना चाहते हैं। जीएम की वैज्ञानिक विधि पर सरकार को निवेश करना चाहिए था ताकि प्राकृतिक रूप से टिकाऊ, किसानों

का जयकारा है

के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाभकारी और जनता के लिए खाद्यान्न आवश्यकताओं को हल करने की दिशा में इसका विकास हो सके। पर सरकार कम्पनियों के हित में काम कर रही है। खतरा आम किसानों की बीज आत्मनिर्भरता समाप्त होने का बन गया है, क्योंकि वे ऐसे पारम्परिक बीजों का प्रयोग करते रहे हैं जो उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए सबसे अनुकूल हैं। ऐसे बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ऐसी तकनीकी किसानों के लिए लागत का खर्च बढ़ाकर उन्हें कर्ज में भी फंसाती है और खेती से उन्हें उजाड़कर विदेशी कम्पनियों का नियंत्रण बढ़ा देती है।

जीएम बीजों के पर्यावरण प्रसार की अनुमति पर बहस :

अब तक केवल जीएम कपास को अनुमति दी गयी थी और जीएम बैंगन व जीएम सरसों को विरोध के चलते 2017 में रोक दिया गया था। उसके बाद से कोई नया अध्ययन नहीं किया गया है, जबकि पुराने अध्ययन काफी अपर्याप्त पाए गये थे, उन्होंने कृषि अनुसंधान संस्थान की गाइडलाइन्स का भी उल्लंघन किया था और डीएनए संशोधन तकनीकी तथा कीटनाशक सम्बन्धित विनियमनों का भी। डीएमएच–11 की जैव सुरक्षा सम्बन्धित परिणाम आज तक जनता के सामने पेश नहीं किए गये। मधुमक्खियों और मृदा प्रदूषण से जुड़े प्रश्नों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। जाहिर है, कम्पनी के साथ मिलीभगत से अनुमति दी गयी है। इस अनुमति में यह भी स्पष्ट नहीं है कि अनुमति दी किसने है, ताकि यदि बाद में नुकसान सामने आते हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।

वास्तव में इस अनुमति को देने के पीछे नरेन्द्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण है, जिसमें उन्होंने 'जय अनुसंधान' का नारा दिया। यह बीज तथा रसायनिक कीटनाशक बेचने वाली विदेशी कम्पनियों के हित में दिया गया है। यह मोदी सरकार के कारपोरेट पक्षधर, किसान विरोधी, जनविरोधी कार्यक्रम का हिस्सा है, "जय विदेशी कम्पनी राज, जय कारपोरेट राज"!

जीएम सरसों पर किसान संगठनों की दो भिन्न प्रतिक्रियाएं – एआईकेएस तथा एआईकेएमएस :

जहां देश भर के किसान संगठनों ने इसका स्पष्ट विरोध किया, सीपीएम नेतृत्व वाली एआईकेएस ने बयान देकर सरकारी लैब द्वारा "हाईब्रिड बीजों के विस्तारित परीक्षण" का स्वागत किया। बयान में कहा कि "अब हाईब्रिड बीजों का परीक्षण आईसीएआर (इंडियन काउन्सिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) करेगी। यह सरकारी अनुसंधान संगठन है। जनता को धोखा नहीं दे सकता। यह परीक्षण के परिणाम जनता के समक्ष रखेगा। अगर वे क्षति नहीं पहुँचाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परीक्षण के परिणामों के बाद यदि यह स्थापित होता है कि यह हाईब्रिड बीज नुकसानदेह नहीं है और इनसे उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार को इनकी खेती की अनुमति दे देनी चाहिए।" आगे उन्होंने कहा "हम विज्ञान के विरोधी नहीं हो। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें तकनीकी का इस्तेमाल करना होगा। भारत में जहां जनसंख्या बहुत है, हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। तकनीकी का इसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारी आपत्ति दूसरी है। अगर कारपोरेट घराने इस तकनीकी को देते हैं तो वे अपनी जरूरतों के अनुसार इसे बनाते हैं, इससे समस्याएं आती हैं।"

बीटी कपास पर एआईकेएस ने कहा कि किसान कीट प्रतिरोधात्मक क्षमता वाली प्रजातियों की मांग कर रहे थे। "सरकार को पता लगाना चाहिए गड़बड़ी कहां हुई और उसे ठीक किया जाना चाहिए। बीटी कपास से उत्पादन बढ़ा है।"

आरएसएस–भाजपा नेतृत्व वाली सरकारी संस्थाओं पर इतना भरोसा! यह देखते हुए कि बड़ी विदेशी कम्पनियां इन जीएम व एचटी बीजों को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं और जब गम्भीर वैज्ञानिक आपत्तियां सामने आई हैं, और इनमें से किसी का भी जवाब कम्पनी ने नहीं दिया है, एआईकेएस ने यह पक्ष अपनाया है।

जब उनके पक्ष की आलोचना सामने आई तो स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि जीएम सरसों का स्वागत करने में "उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। वे विज्ञान आधारित हल चाहते हैं। उनका पक्ष है कि ऐसे समाधानों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हालांकि देश भर का किसान आन्दोलन सरकार द्वारा खेती की सुविधाओं की अवहेलना, लागत बढ़ाने वाले कारपोरेट पक्षधर नीति, किसानों की कर्जदारी के बढ़ने और कृषि में सहयोग न देने के कारण कारपोरेट द्वारा प्रसारित की जा रही तकनीकी को अपनाने के लिए मजबूर होने से जूझ रहा है। इस सबके बावजूद एआईकेएस ने विदेशी कम्पनियों द्वारा इन बीजों के पर्यावरण प्रसार की अनुमति वापस लेने की मांग नहीं की है।

इन बीजों के प्रसार पर रोक लगाने की मांग करते हुए एआईकेएमएस ने इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह उपरोक्त विवरण के आधार पर संगठित सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हम स्पष्ट हैं कि सरकार का यह फैसला देश की बीज सम्प्रभुता को नष्ट करेगा, मानव व पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, मधुमक्खी व अन्य परागण कीटों तथा मिट्टी, जलस्तर तथा अन्य वनस्पतियों व कीड़ों को बरबाद करेगा। हम अच्छी तरह परिचित हैं कि हमारी सरकारी संस्थाएं किसानों की कम और विदेशी कम्पनियों की ज्यादा मदद में जुटी रहती हैं। इसीलिए हमने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है।

हमारी यह स्पष्ट समझ है कि वैज्ञानिक शोध जारी रखना चाहिए, पर न तो उनके वैज्ञानिक पैमानों को कमजोर किया जाना चाहिए और ना ही प्रकृति से खिलवाड़ होने देना चाहिए क्योंकि प्रकृति में किए गये परिवर्तन वापस नहीं किये जा सकते। हम समझते हैं कि किसी तकनीकी के प्रयोग से पहले, उसका किसानों व समाज के लिए लाभ पूरी तरह सिद्ध होना चाहिए। हम यह भी समझते हैं कि जो कुछ अनुवांशिक संशोधन किये गये हैं, उनके दुष्प्रभाव, नए कीड़े, नई घासें, कैंसर का बढ़ना, जलस्तर का घटना, इस सभी को वापस करना लगभग नामुमकिन है और ये समाज के लिए बहुत मंहगे साबित हुए हैं।

ठेका कर्मियों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

नौकरी से बाहर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन की दर पर अंतरिम सहायता

31 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ठेका कर्मियों के लंबित केस में कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17 बी के तहत अंतरिम राहत देने का आदेश पारित किया है। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को बेरोजगारी के समय का वेतन न्यूनतम वेतन की दर से 8 सप्ताह के भीतर एम्स प्रशासन को भुगतान करने को कहा गया है। यह आंशिक ही सही पर आज के समय में एक बड़ी जीत है। इंडियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन (इफ्टू) से संबंधित दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन ने फैसले का स्वागत करते हुए संविदा कर्मियों का आह्वान किया है कि संघर्षों के जरिए वह बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं।

ट्रेड यूनियन नेता डॉ. अनिमेष दास और डॉ. मृगांक ने उक्त पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2011 में जब तत्कालीन प्रहरी प्रोटेक्शन सिस्टम (पीपीएस) नामक ठेकेदार कंपनी को गार्डों के पीएफ घोटाले में पकड़ा गया तो लगभग 300 गार्डों को नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन के तहत ठेका कर्मी संगठित हुए और लंबे संघर्ष के जरिए अपना प्रोविडेंट फंड हासिल किया। यह संघर्ष जालंधर स्थित पीएफ दफ्तर में मुकदमे और केंद्रीय पीएफ ऑफिस के बाहर लगातार चलने वाले विरोध प्रदर्शनों के जरिए चलता रहा। इस दबाव में जब कपूरथला स्थित पीपीएस के कार्यालय में छापा मारा गया तो वह पहले ही दफ्तर खाली करके भाग गया था। अंततः संघर्ष के दबाव में एम्स के खाते जब्त करने का नोटिस करवाया गया जिसके बाद ही एम्स ने सभी वर्करों को 2014 में पीएफ का भुगतान जो लगभग तीन करोड़ रुपए का था, पीपीएस की जमा सिक्योरिटी के जरिए कराया।

भारत में कारपोरेट के बेइंतेहा मुनाफों की भूख के कारण श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने के चलते बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। सरकारी आंकड़ों में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं, तो लगभग इतनी ही आबादी असंगठित क्षेत्र के कामगारों की है जिसमें कृषि और निर्माण श्रमिक तथा फुटपाथ पर छोटा–मोटा कारोबार कर जीवन यापन करने वाले लोग हैं जिन्हें 365 दिन रोजगार नहीं मिलता। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोजगार शुदा तो हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर (ठेका कर्मी) हैं। वह फैक्ट्रियों, अस्पतालों, बैंक, सुरक्षा, बड़े–बड़े शोरूम व मॉल के अलावा केंद्र व राज्य सरकारों के दफ्तरों में हाउसकीपिंग, चौकीदारी, डिलीवरी ब्वॉय, डाटा ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट का काम कांट्रेक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन जो कि महंगाई के मुकाबले पहले ही बहुत कम है वह भी नहीं दिया जाता। ठेका कर्मियों की त्रासदी यह है कि वह अपनी नौकरी की सुरक्षा, वेतन, काम के घंटे और श्रम कानूनों से मिले अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाते, लेकिन एम्स के ठेका कर्मियों ने एक दशक तक लंबी लड़ाई लड़कर एक बड़ी जीत हासिल की है जो ठेका कर्मियों के भविष्य के संघर्षों के लिए बड़ी मिसाल है।

इस मामले में नौकरी से बाहर किए गए कान्टैक्ट वर्करों का मामला श्रम कार्यालय में औद्योगिक विवाद के रूप में लगाया गया जो बाद में लेबर कोर्ट में गया। कोर्ट में 28 कर्मचारी गए थे। 2018 में लेबर कोर्ट ने श्रमिकों का यह तर्क माना कि यह ठेका दिखावा है और केवल कर्मचारी मालिक के रिश्ते को छुपाने के लिए किया गया है। अंततः कोर्ट ने 2018 में आदेश पारित किया कि इन सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए और बेरोजगारी के समय का पूर्ण वेतन का भी भुगतान किया जाए। एम्स ने इस आदेश की अवहेलना की जिसके कारण यूनियन को आदेश लागू करवाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। आरएलसी कार्यालय में बहाली के लिए और एसडीएम कार्यालय में पैसा वसूली की कार्यवाही कराने के लिए लगातार प्रयास किया गया। दो बार एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन और उस पर सतत दबाव डाला गया। अंततः एम्स डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कराने में सफलता प्राप्त हुई और इसके तुरंत बाद एम्स हाई कोर्ट चला गया और वहां पर यह केस चल रहा था। हाईकोर्ट में यूनियन ने धारा 17 बी के तहत अंतरिम राहत का आवेदन लगाया था पर एम्स लगातार टालमटोल करता जा रहा था। अंतिम तारीख पर हाईकोर्ट ने यह अंतरिम राहत का आदेश पारित कर दिया। हालांकि अभी बहाली का मामला चल रहा है।

अदालत में ठेका कर्मियों की हुई विजय पर दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस जीत से यह साबित होता है कि यदि शिद्दत के साथ संघर्ष किया जाए और उसमें लगातार आगे बढ़ा जाए तो विजय हासिल होती है। यदि हम व्यापक तौर पर एकताबद्ध होकर अपनी मजबूती को और बढ़ाएंगे तो आज के दौर में जब श्रमिकों पर चौतरफा हमले तेज हो रहे हैं तो भी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। हमें इन संघर्षों से प्रेरणा लेकर और इस तरह की विजय से उर्जा लेकर अपनी मांगों और शोषण के खिलाफ संघर्ष का बिगुल तेजी से बजाना होगा।

अनिमेष दास और मृगांक ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि आज के दौर में हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका हम लगातार सामना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर श्रमिकों को समय से वेतन न मिलना, सरकारी ग्रेड के अनुसार वेतन ना मिलना, ईएसआई, पीएफ और बोनस का ना मिलना, पूरे महीने ड्यूटी न मिलना, सरकारी छुट्टियों पर भी बिना ओवरटाइम काम कराना तथा सबसे बड़ी बात ठेका बदलने पर ठेका कंपनी को हजारों रुपए घूस दे लेकर दोबारा भर्ती होना जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका वह लगातार सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ा मुद्दा है सरकार द्वारा प्रस्तावित नए लेबर कोड जो वर्तमान श्रम कानूनों को लगभग पूरी तरह समाप्त कर देंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

तिलौथू (रोहतास, बिहार)

गरीब किसानों तथा श्रमिकों का चेतावनी मार्च व सभा

बिहार के रोहतास जनपद के सोन नदी और कैमूर की तराई में स्थित तिलौथू अंचल के भू–माफियाओं, नौकरशाहों और पुलिस प्रशासन के उत्पीड़न और अत्याचारों के खिलाफ किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भूदान की जमीनों पर कब्जा, सोन नदी से बालू निकालने, खेती करने एवं कैमूर पहाड़ी की की तराई भूमि पर दबंग सामंतों से आम गरीब जनता त्रस्त है। भूमि सुधार लागू करने और बटाईदार किसानों सहित सभी किसानों से धान की खरीद एमएसपी दर पर करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा एआईकेएमएस के सैकड़ों किसानों व मजदूरों ने 26 अक्टूबर 2022 को तिलौथू बाजार के जगदेव चौक से जन 'चेतावनी मार्च' निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में तिलौथू अंचल कार्यालय पर हुए जनसभा के बाद थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से एआईकेएमएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस इलाके में ब्रिटिश राज के जमाने से चली आ रही सामंतशाही अभी भी लागू है। इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि तिलौथू बाजार के निवासी और व्यवसाई आज भी तिलौथू स्टेट के जमींदार को कर देते हैं, क्योंकि स्थानीय निवासी जिस भूमि पर रहते हैं उसका मालिकाना हक आज भी उनके पास नहीं है।

विरोध प्रदर्शन के बाद हुई जनसभा की अध्यक्षता अंचल अध्यक्ष प्रमोद मेहता एवं संचालन संगठन के जिला कमेटी सदस्य सुनील कुमार वर्मा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की नितीश कुमार सरकार काम के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही हैं और जनता में सांप्रदायिक एवं जातीय विभाजन को बढ़ा कर अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती हैं। केंद्र की आरएसएस–भाजपा सरकार जहां अंबानी और अडानी जैसे बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है तो वहीं राज्य की नितीश सरकार सामाजिक न्याय और सुशासन के नाम पर कुछ बड़े भूमाफियाओं, ठेकेदारों और सामंतों को बढ़ावा दे रही है। यही नहीं राज्य की नौकरशाही और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी मनमानी चरम पर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में किसानों और मजदूरों के समक्ष संघर्ष तथा आंदोलनों को और तेज करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इन मुद्दों को लेकर एआईकेएमएस पहले भी कई बार आंदोलन छेड़ चुका है।

एआईकेएमएस के जिला सचिव कामरेड अयोध्या राम ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सफल हुए किसान आंदोलन ने एक बात साफ कर दी है कि सरकारों के खिलाफ जनता की विभिन्न ताकतों को एकजुट करके ही लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों को संगठित करके ही जीती जा सकती है। किसानों और मजदूरों की मांगे कानून और न्याय सम्मत हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन उसे नजरअंदाज करता रहा है। उन्होंने सभा के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को चेताया कि वह समय रहते इन सभी मांगों को पूरा करे अन्यथा जल्द ही आंदोलन और उग्र रूप धारण कर लेगा।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सोन नदी और कैमूर की तराई में स्थित इस अंचल में बालू निकासी व कैमूर पहाड़ी से पत्थर का कारोबार क्षेत्र के बेरोजगारों और श्रमिकों के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन सकता था। किंतु नितीश सरकार ने सोन नदी से बालू निकासी का ठेका बड़े माफियाओं को दे दिया। साथ ही पत्थर से जुड़े व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाकर इससे जुड़े श्रमिकों एवं बेरोजगारों के लिए जीविकोपार्जन का संकट खड़ा कर दिया है। कानून के मुताबिक नदी तट पर स्थित जमीन पर खेती और बालू निकासी का काम अति पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित है। सोन नदी के किनारे मल्लाह और नोनिया जातियों की अनेकों बस्तियां हैं जिनका जीवन नदियों से जुड़ा रहा है लेकिन उन्हें बालू निकासी के अपने पुश्तैनी अधिकार से दूर कर दिया गया है और भूमाफियाओं और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की अवैध बालू निकासी हो रही है।

एआइकेएमएस नेताओं ने कहा कि तिलौथू बाजार के इर्द–गिर्द भूदान की जमीने हैं जिस पर अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है। इस मामले की कभी कोई जांच पड़ताल आज तक किसी भी सरकार नहीं कराई। बिहार में बीते 30 वर्षों से कथित सामाजिक न्याय एवं सुशासन के नाम पर सरकारें चलती रही हैं। वह सिर्फ दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का वोट बैंक के रूप में सत्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं और इस मामले का कभी कोई समाधान करने की कोशिश नहीं की। बल्कि बीते दशकों में अगड़ों और पिछड़ों के कई नए भूमाफिया जरूर पैदा हो गए हैं, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों का चोला पहनकर हदबंदी, बिहार सरकार एवं भूदान बंदोबस्ती अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर तमाम जमीनें अपने नाम करा ली हैं। इस अंचल में भूमि सुधार को लागू कराने का संघर्ष आम जनता के हित में जरूरी है। जनसभा को संगठन के तिलौथू अंचल कमेटी के सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष राजेंद्र राम, सुरेंद्र सिंह, रवि ठाकुर, जय प्रकाश राम सहित एआईकेएमएस के कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

ईरान : शासन के खिलाफ जनता के विरोध प्रदर्शन

(पृष्ठ 3 का शेष)

लोकतंत्र का उल्लंघन। भारत में भी यह स्पष्ट है जहां हिजाब पहनना न केवल पसंद के अधिकार बल्कि यहां पहचान के अधिकार के हनन के खिलाफ भी विरोध का प्रतीक बन गया है। ये प्रतीक विरोध का मूर्त रूप बन जाते हैं और इसलिए मूल अधिकारों के हनन की गहरी बैठी हुई भावना का प्रतिबिंब हैं, ये आम उत्पीड़न की अस्वीकृति को दिखाते हैं।

मौलवियों के शासन ने सभी राजनीतिक विरोधों पर रोक लगाकर उन्हें भूमिगत होने को मजबूर कर दिया है। यह सभी दमनकारी समाजों में बार–बार होता है। परंतु वर्तमान आंदोलन भी सचेत नेतृत्व के बिना नहीं है, हालांकि लोगों का बड़ा वर्ग सहज रूप से भाग ले रहा है जो जनता के सभी उफानों में होता है। विरोध की खुली अभिव्यक्ति को न करने देना शक्तिशाली विस्फोटों के लिए रास्ता बनाता है, हिंसक दमन हिंसक उभार को जन्म देता है।

ईरान में प्रगतिशील आंदोलनों की लम्बी और मजबूत परंपरा रही है और ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले प्रगतिशील संगठन रहे हैं। वर्तमान आंदोलन में भी, मुजाहिदीन–ए–खल्क़ (एमईके) के कार्यकर्ताओं की भूमिका का व्यापक रूप से उल्लेख किया जा रहा है, भले ही उनके प्रभाव और भागीदारी की सीमा कुछ भी हो।

सामाजिक जीवन में ईरानी मौलवियों की भूमिका के भी ऐतिहासिक कारण हैं जिन्होंने सालों से लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है और इतिहास के लंबे समय तक कठिनाइयों के दौरों में लोगों के साथ रहे हैं, जिसमें हाल ही में शाह पहलवी का तानाशाही शासन शामिल हैं। हालाँकि, लोगों के बीच, विशेष रूप से ऐतिहासिक मोड़ों पर, प्रगतिशील क्रांतिकारी ताकतें भी सक्रिय तथा मजबूत रही हैं। इन प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी ताकतों ने शाह शासन को उखाड़ फेंकने में एक प्रमुख बल्कि निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन अपने जनता के बीच व्यापक नेटवर्क और क्रांतिकारी ताकतों की तुलना में अभिजात वर्ग के बीच अधिक स्वीकार्यता के कारण धर्म गुरु तथा मौलवी सत्ता में आए। शाह शासन को उखाड़ फेंकने में क्रांतिकारी ताकतों को लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इतना ही नहीं शाह की तानाशाही के खिलाफ अधिकांश लड़ाई तथा कुर्बानियां ईरान में प्रगतिशील और क्रांतिकारी ताकतों द्वारा दी गई थी। य परंतु ऊपर दिये गये कारकों के कारण मौलवियों का शासन स्थापित हुआ।

शाह शासन को उखाड़ फेंकने के दौर में स्थापित धार्मिक प्रतिष्ठान जिसे कुलीन वर्गों का समर्थन प्राप्त था, के मुकाबले क्रांतिकारी ताकतों की कमजोरी में प्रमुख रूप से मजदूर वर्ग के नेतृत्व तथा मजदूरों के बीच सक्रिय समर्थन की कमी तथा क्रांतिकारी किसान आंदोलन का अभाव था। यहां यह बात एक बार फिर सामने आई कि मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी नेतृत्व के बिना प्रगतिशील समाज की स्थापना नहीं की जा सकती यद्यपि कुछ सुधार अवश्य हो सकते हैं। ईरान के प्रगतिशील आंदोलन जिसका ईरानी समाज में विशेषकर मध्यम वर्गों में व्यापक समर्थन है ने वर्तमान शासन को अवश्य झकझोर दिया है तथा यह आंदोलन दो माह बाद भी मजबूती से जारी है परंतु मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने में मजदूरों तथा किसानों की भागीदारी के बिना यह सफल नहीं होगा।

हैदराबाद बैठक

(पृष्ठ 1 का शेष)

के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंधाधुंध मुनाफा देने के लिए पूरी तरह से उनके समक्ष झुक गई है। जल, जंगल, जमीन और सभी प्राकृतिक संसाधनों को उन्हें सौंप दे रही है। गरीब आदिवासियों और अन्य वनजीवी समुदायों को उखाड़ फेंक रही है और उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रही है। राज्य सरकारें भी इसी नीति का पालन कर रही हैं। वह आदिवासियों और अन्य वनजीवी समुदायों पर गंभीर दमन का सहारा ले रहे हैं और पुलिस की मदद से स्थानीय गुंडों का इस्तेमाल कर उन पर हिंसा कर रहे हैं ताकि पीढ़ियों से रह रहे लोगों को आतंकित कर सकें और उनके अधिकारों और आजीविका के लिए लोकतांत्रिक संघर्षों को रोक सकें। आदिवासियों व अन्य वनजीवी समुदायों के खिलाफ हिंसा के ऐसे सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हुए बैठक में आदिवासी व किसान संगठनों ने आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की है।

बैठक में सभी किसान संगठनों, आदिवासियों और अन्य वनजीवी समुदायों के बीच काम करने वालों को गांव और मंडल स्तर पर व्यापक जन आंदोलन के साथ दृढ़ संघर्ष करने और इस मुद्दे पर जिला और राज्य स्तर पर संयुक्त संघर्ष खड़ा करने के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करने का निर्णय लिया गया है। इस संघर्ष के लिए सभी ताकतों को एकजुट करने के लिए स्थानीय से लेकर राज्य स्तर पर और विभिन्न राज्यों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय केंद्रों में सम्मेलनों, रैलियों और जनसुनवाई यात्राएं भी आयोजित करने का फैसला किया गया है। बैठक में सभी लोकतांत्रिक ताकतों, छात्रों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों और समाज के अन्य तबकों में संघर्षरत लोगों के अन्य वर्गों के जन संगठनों से इस संघर्ष का समर्थन करने के लिए आगे आने की अपील करने का भी निर्णय लिया गया है।

एम्स ठेकाकर्मी

(पृष्ठ 5 का शेष)

मालिकों को रखने व निकालने की, काम के घंटे तय करने की और वेतन तय करने की कानूनी बंदिशें ढीली कर दी जाएंगी। संगठित होने का अधिकार मुश्किल कर दिया जाएगा। श्रम कानूनों को लागू करने की मशीनरी को ही कमजोर कर दिया जाएगा। यहां यह बात भी समझने योग्य है कि प्रस्तावित लेबर कोड में मुख्य मालिक की जिम्मेदारी समाप्त की जा रही है अर्थात इन श्रम कोड के लागू होने के बाद यदि ठेकेदार भाग जाता है तो उसे पकड़ने का भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। पीपीएस के पीएफ के मामले में एम्स को घेर कर यूनियन कुछ हासिल कर सकी है। यह सभी कुछ लड़ाई लड़ने से ही हासिल हो सका और इसलिए आगे भी इन सभी सवालों पर मजबूती से लड़ने की जरूरत है। दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन ने आह्वान किया है कि सभी प्रकार के ठेका कर्मी आगे बढ़ें और अपनी नौकरी की सुरक्षा व अधिकारों के लिए पुरजोर संघर्ष का निर्माण करें।

बिरसा मुंडा जयंती पर देश भर में एफसीआर की प्रतियां जलाएंगे आदिवासी व किसान

कारपोरेट पक्षधर वन संरक्षण नियम 2022 के खिलाफ देश भर में लामबंद हो रहे आदिवासी, किसान और नागरिक संगठनों ने व्यापक आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उसी कड़ी में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर वन संरक्षण नियम 2022 की प्रतियां जलाई जाएंगी। आरएसएस–भाजपा सरकार वनों और वन भूमि को बड़े कारपोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए वन भूमि के विशाल क्षेत्रों से आदिवासी और अन्य वनजीवी समुदायों को उखाड़ फेंकने और विस्थापित करने के लिए एक और हिंसक हमला शुरू करने की तैयारी में लग गई है। जंगल पर आदिवासियों के अधिकार के लिए दशकों पुराने संघर्ष के प्रतीक शहीद बिरसा मुंडा रहे हैं। ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के महान नायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के लोहरदगा जिले के उलिहातु गांव में हुआ था। मुंडा विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता, स्थानीय ठेकेदारों व अधिकारियों द्वारा वन भूमि हथियाने के खिलाफ था। शासकों की जंगल व वन भूमि पर कब्जे की नीति ने आदिवासियों की हजारों वर्ष की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था।

इस संघर्ष का मुख्य नारा था– अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुंडू जाना अर्थात रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। 1899 के क्रिसमस के दिनों में लगभग 7000 पुरुष और महिलाएं एकत्र हुए थे और उन्होंने 'उलगुलान' (क्रांति) शुरू करने के लिए मार्च शुरू किया जो जल्द ही खूंटी, तामार, बसिया व रांची तक फैल गया। अंग्रेजों के 4 से अधिक पुलिस थानों पर हमले किए गए। इस महान संघर्ष में बिरसा व उनके साथी – 460 से अधिक आदिवासी नेता गिरफ्तार हुए। बिरसा की 9 जून 1900 को जेल में मृत्यु हो गई।

विभिन्न आदिवासी और किसान संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि 1947 के 7 दशक बाद भी आदिवासी एवं अन्य वनजीवी समुदाय और बदतर स्थिति में आ गए हैं। केंद्र सरकार लंबे संघर्षों से आदिवासियों एवं अन्य वनजीवियों को जंगल और वन भूमि पर मिले अधिकारों को समाप्त कर उसे कारपोरेट कंपनियों को सौंप रही है। और इसी दृष्टिकोण से उसने वन संरक्षण नियम 2022 को संसद के सामने रखा है। यह नियम एफसीआर 2022, वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम 1996 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत आदिवासियों व अन्य पारंपरिक वनवासियों की ग्रामसभा को दिए गए भूमि समुदाय और वन अधिकारों का बंदोबस्त करने और उनकी भूमि पर परियोजनाओं को स्वीकृति देने के वैधानिक अधिकार को छीन लेगा।

यह नियम एफआरए 2006 के साथ पहले संशोधित एफसीआर 2003 को 'ओवरराइड' करते हैं, जिनमें सरकार को 'उपयोगकर्ता एजेंसी' जिसका अर्थ है एक निजी या सार्वजनिक कंपनी के पक्ष में वन भूमि को डायवर्ट और 'डीक्लासिफाई' करने से पहले जनजातीय और वन ग्राम सभाओं की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। अब वन अधिकारों पर तभी विचार किया जाएगा जब 'सैद्धांतिक' और अंतिम मंजूरी पहले ही दी जा चुकी होगी और कंपनी पहले ही वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा कर चुकी होगी अर्थात यह महज औपचारिकता रह जायेगी।

बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर एफसीआर 2022 की प्रतियां जलाने और देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की अपील नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (नापम), आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, जागृत आदिवासी दलित संगठन, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, सत्य शोधक शेतकरी सभा, मलकानगिरी जिला आदिवासी संघ, एआईकेएफ, तेलंगाना रायतांगा समिति, तेलंगाना गिरिजन संघम, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट सहित अनेक आदिवासी और किसान संगठनों ने की है। उक्त संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि कंपनी राज से आजादी के लिए हमारे संघर्ष के नायकों की याद में आइए हम इन वन संरक्षण नियम 2022 की प्रतियां जलाएं और इस वर्ष 15 नवंबर को पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करें।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि आदिवासियों पर हमले कोई नई बात नहीं है। 1980 में जब वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, 1988 में जब राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया था, जब टाटा, पास्को, रिलायंस और वेदांता आदि को जमीन दी जा रही थी, जब 2017 में संथाल परगना और छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियमों को बदल दिया गया था। इन सभी फैसलों का उद्देश्य आदिवासियों को जंगल और उनकी जमीन से बेदखल करना ही था, लेकिन आदिवासियों ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया, जैसा की उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भी जोरदार प्रतिरोध संघर्ष किया था।

जंगल और हरियाली को संरक्षित करने, हमारी जलवायु की रक्षा करने, बाढ़ व सूखे और चक्रवातों को रोकने, वनस्पतियों और जीवों और जैव विविधता की रक्षा करने और भारत के उन 40 करोड़ लोगों की आजीविका सुरक्षित करने जो वन उपज पर निर्भर हैं की आवश्यकता के बावजूद मोदी सरकार वन संसाधनों और वन भूमि को कंपनियों को बेचने के लिए बेताब है। जमीन, जंगल, पानी और खनिज संसाधनों का कारपोरेट द्वारा हथियाना आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा है। यह बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनियों और अमीरों पर जो सरकारी खजाना खर्च किया है उससे गहरा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। इनके कर्ज बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है और व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इसलिए यह अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए आदिवासियों, गैर आदिवासियों और भारत के सबसे गरीब तबकों के लोगों की आजीविका संसाधनों का बलिदान करना चाहते हैं।

वीर बिरसा मुंडा की 147 वी जयंती पर कार्यक्रम

वन संरक्षण नियम 2022 वापस लेने की मांग तेज

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा तथा कई आदिवासी संगठनों तथा आदिवासियों के बीच काम करने वाले किसान संगठनों के आह्वान पर 15 नवंबर 2022 को देश विभिन्न क्षेत्रों में वीर बिरसा मुंडा की 147 वी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संगठनों ने वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों के तहत आदिवासियों तथा गैर आदिवासी वनजीवी समुदायों के अधिकारों को अमल करने, आवास व खेती के पट्टे देने, वनों में सामुदायिक अधिकार देने और छोटे वन उत्पादों पर पारम्परिक वन समुदायों का प्राधिकार स्थापित करने की मांग उठाते हुए वन संरक्षण नियम 2022 को वापस लेने की मांग उठाई। सभी विरोध सभाओं में इन नियमों की प्रतियां जलाकर लोगों ने अपने विरोध को दर्ज किया।

एआईएमआईएम के नेतृत्व में ओडिशा में गंजाम जिले के धाराकोट और सरोडा विकासखंडों, गजपति जिले के काशीनगर व गुम्मा विकासखंडों और रायगड़ा में गुनपुर, रमनागुडा व मुनीगुडा विकासखंडों में 15 नवम्बर को सभाएं हुईं।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आदिवासी अत्तवी हकुला पारीरक्षणा समन्वय समिति के नेतृत्व में विरोध कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही महबूबाबाद. निजामाबाद, सूर्यपेट तथा भद्राद्री–कोथागुडेम जिलों में जिलास्तरीय कार्यक्रम किये गये।

आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के देवीपटनम मंडल के गंदीकोटा आदिवासी गांव में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके अलावा प्रदेश में 6 जिलों में 40 अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। आंध्र प्रदेश में विजयनगर जिले में दो, पार्वतीपुरम जिले में दो, श्रीकाकुलम जिले में एक, आलूरी सीतारामाराजू जिले में तीन, एलेरु जिले में 32 तथा चित्तूर जिले में एक स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किये गये।

बिहार में कैमूर पहाड़ी पर कैमूर वन अधिकार संघर्ष मंच ने कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में खीरी बाजार में यह कार्यक्रम हुआ जिसमें कॉल आदिवासियों को जनजाति दर्जा देने की भी मांग उठाई गई।

ओडिशा : गुम्मा विकासखंड पर प्रदर्शन व सभा

21 नवम्बर 2022 : तेलंगाना में कोथागुडेम जिले में वन संरक्षण नियम 2022 के खिलाफ राज्य स्तरीय सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन आदिवासी वन अधिकर परिरक्षणा समन्वय मंच (वेदिका) के झंडे तले किया गया। सम्मेलन में अनेक आदिवासी तथा किसान संगठनों ने भाग लिया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करने वालों में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष का. वी. वैंकटरमैया शामिल थे।

पटियाला (पंजाब) : जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी द्वारा 10 दिनों का धरना

जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी (जेडपी एससी) के नेतृत्व में सैकड़ों गरीब भूमिहीन दलितों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा वायदे पूरे न किये जाने के खिलाफ संगरुर जिला आयुक्त कार्यालय के समक्ष दस दिवसीय धरना तथा भूख हड़ताल शुरु की है। धरने में सैकड़ों की संख्या में दलित खेत मजदूर तथा ग्रामीण भूमिहीन भाग ले रहे हैं। धरने के पहले दिन लगभग तीन सौ से अधिक लोगों ने भाग लिया।

जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी लम्बे समय से एक तिहाई पंचायती जमीन पर दलितों के हिस्से के लिए संघर्ष करती रही हैं। कमेटी ने मांग की है कि इसको पूरी तरह लागू किया जाए तथा फर्जी निलामियों को रद्द किया जाये। इसके साथ ही ग्रामीण सहकारी समितियों में दलितों के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये जाएं। साथ ही कमेटी ने यह भी मांग की है कि जेडपीएससी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज अपराधिक मुकदमे फौरन वापस लिये जाएं।

धरने की अन्य प्रमुख मांगें हैं – हर दलित परिवार को 5 मरला जमीन आबंटित की जाए, मनरेगा योजना लागू की जाए व हर मजदूर को 100 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए तथा सभी कर्जे माफ किये जाएं।

जेडपीएससी के अध्यक्ष मुकेश मलोध के अनुसार 'आप' सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किये हैं तथा दलित मजदूरों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। 'आप' सरकार दलित विरोधी रवैया अपना रही है तथा ऊंची जातियों के दबंगों का साथ दे रही है। मुकेश मलोध के साथ ही जेडपीएससी के अन्य नेताओं ने भी धरने पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए संघर्ष को तेज करने का आवाह्न किया।

'आप' सरकार के दलित विरोधी रवैये के खिलाफ जेडपीएससी ने 30 नवम्बर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरुर स्थित निवास पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस प्रदर्शन के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए विभिन्न गांवों में सभाएं की जा रही हैं।

मुकेश मलोध के अनुसार सरकार के साथ बार–बार की गई मीटिंगों का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला क्योंकि सरकार के नेता तथा अधिकारी हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमें आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ा और इसी के एक कदम के रुप में हम मुख्यमंत्री निवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसमें प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से साथी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे।

जेडपीएससी के लगातार संघर्ष के चलते जहां महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं वहीं सभी सरकारों ने उनके संघर्ष का दमन किया है तथा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किये हैं। सभी सरकारें गांवों के चौधरियों का समर्थन करती रही हैं। आप सरकार का रवैया भी पिछली सरकार की तरह ही है।

श्रद्धा की जघन्य हत्या की निंदा : प्रमस

प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) दिल्ली अपने लिव इन पार्टनर द्वारा श्रद्धा की जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करती है। हम निष्पक्ष और समयबद्ध परीक्षण के बाद निष्पक्ष, वैज्ञानिक, त्वरित जांच की मांग करते हैं। प्रगतिशील महिला संगठन श्रद्धा के लिए न्याय की मांग करता है।

पीएमएस पूरे मामले को साम्प्रदायिक रंग देने के प्रयासों की कड़ी निंदा करता है। इस मामले में जो ताकतें सोशल मीडिया पर हिंदू महिलाओं के हिमायती के रूप में सामने आ रही हैं, वे उत्तराखंड में हाल ही में अंकिता की हत्या में बिल्कुल अनुपस्थित थीं, जहां आरोपी एक भाजपा नेता का बेटा था या हाथरस मामले में, जहां युवा दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी उच्च जाति के हिंदू अभियुक्तों के पक्ष में बहुत सारी पंचायतें हुईं।

पीएमएस आगे महसूस करता है कि बिलकिस बानो मामले में बलात्कार और हत्या के दोषियों की सजा में छूट, बलात्कार और हत्या के आरोपियों के पक्ष में रैलियों का समर्थन और स्वागत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधियों को प्रोत्साहित करता है। आवश्यक बुनियादी ढांचे – फास्ट ट्रैक अदालतें, अधिक फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, पर्याप्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, अदालत के कर्मचारी, वैज्ञानिक, अस्पताल के कर्मचारी आदि की नियुक्ति को सुनिश्चित करने में सरकारों की विफलता महिलाओं को न्याय में देरी के लिए जिम्मेदार हैं।

पीएमएस दिल्ली के लोगों और विशेष रूप से दिल्ली की महिलाओं से हिंदुत्व की इन ताकतों से सावधान रहने का आह्वान करता है, जो वास्तव में हिंदू लड़की की पसंद के अधिकार के बारे में चिंतित नहीं हैं और वास्तव में महिलाओं की पसंद के अधिकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

दिल्ली मार्च वर्षगांठ पर 26 नवम्बर 2022 को

संयुक्त किसान मोर्चे का राज्यों की राजधानियों में विशाल प्रदर्शनों का आवाह्न

खेती–किसानी और देश विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ – 26 नवंबर 2022 – के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन तक किसान मार्च निकालने का फैसला किया है। इससे पूर्व संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की मीटिंग 14 नवंबर को दिल्ली में होगी और इस बैठक में एमएसपी गारंटी कानून, बिजली बिल, कृषि कर्ज माफी सहित कृषि संकट और किसानों से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चे की संयोजन समिति एवं ड्राफ्टिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक 25 अक्टूबर को हुई थी जिसमें 26 नवंबर को देश के सभी राज्यों में राजभवनों तक किसान मार्च का फैसला किया गया था।

ऑनलाइन बैठक में किसान नेता परमजीत सिंह के 380 दिन तक निरंतर चले किसान आंदोलन में विशिष्ट योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 26 नवंबर वह ऐतिहासिक दिन है जब 2 वर्ष पूर्व पंजाब की 40 जत्थे बंदियों ने दिल्ली कूच किया था। उसकी दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न संगठनों ने राज्य स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजभवन मार्च की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 14 नवंबर को किसान संगठनों की जनरल बॉडी मीटिंग में राज्यपालों को सौंपे जाने वाले ज्ञापन के मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित सभी किसान संगठन इस बैठक में एसकेएम के कार्य और दिशा निर्देशिका को भी अंतिम रूप देंगे। इस मुद्दे पर संयोजन समिति एवं ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के बीच चर्चा जारी है। एसकेएम ने 25 अक्टूबर की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में उक्त जानकारी देते हुए वन संरक्षण कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधनों की निंदा की है। मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि किसान नेताओं ने एफसीआरए में किए गए संशोधनों के खिलाफ देश भर के आदिवासी संगठनों द्वारा शुरू किए जा रहे ऐतिहासिक संघर्ष के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का भी निर्णय किया है।

का. तारा सिंह चालाकी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा। जालंधर, अक्तूबर 28, 2022। भरे हाल में मंच पर हैं का. दर्शन सिंह खटकड़, का. अजमेर सिंह, का. कुलविन्दर सिंह तथा का. तारा सिंह का पत्नि बलविन्दर कौर।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली–110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार